REGD. NO. D. L.-33004/99



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(मसाला बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली. 2 फरवरी. 2018

सं. प्रशा-1/स्था./एस पी ई डी ए/2018.—मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 11 और 13 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में, तारीख: 18 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित मसाला बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 17 मार्च 2015 की अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करता है :

1. उक्त अधिसूचना में, :- (i) पैरा 1 में, "गठन" शीर्ष के अधीन उप पैरा (1) में, खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ड.) सचिव, मसाला बोर्ड सदस्य ":

(ii) पैरा 2 में "सचिवालय" शीर्ष के अधीन -, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण की अध्यक्षता एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति

मसाला बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति पर, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी और ऐसे कर्मचारिवृंद की नियुक्ति की जाएगी जो मसाला बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए ।"

> डॉ. ए. जयतिलक, सचिव [विज्ञापन- III/4/असार/50/18]

टिप्पण: मूल अधिसूचना, अधिसूचना संख्या प्रशा -1/स्था./एस पी ई डी ए/2014, तारीख: 17 मार्च, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, तारीख 18 अप्रैल 2015 को प्रकाशित थी और आदेश संख्या प्रशा.-1/स्था./एस पी ई डी ए/2014, तारीख: 5 जून 2015 द्वारा अंतिम संशोधन करके भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, तारीख: 8 जून 2015 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SPICES BOARD)

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. Admin-1/Estt/SPEDA/2018.—In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Spices Board Act,1986(10 of 1986) read with rules 11 and 13 of the Spices Board Rules, 1987, the Spices Board hereby makes the following amendment in the notification of the Spices Board, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, dated the 17th March,2015 published in the Gazette of India, Part III, Section 4 dated the 18th April, 2015.

- 1. In the said notification,:- (i) in paragraph 1, under the heading "Constitution" in sub-paragraph (1), for clause (e) the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(e) Secretary, Spices Board

Member";

(ii) In paragraph 2 under the heading "Secretariat,-", for sub-paragraph (1), the following sub –paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The Saffron Production and Export Development Agency shall be headed by an Administrative officer who will be appointed by the Spices Board, on deputation failing which by direct recruitment and shall appoint such staff as may be determined by the Spices Board."

Dr. A. JAYATHILAK, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./50/18]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, dated 18th April 2015 vide notification number Admin-1/Estt/SPEDA/2014 dated 17th March, 2015 and last amended vide Order number Admin-1/Estt/SPEDA/2014 dated 5th June 2015 was published in Gazette of India, part III Section 4 dated 8th June 2015.